छायाप्रति जस्त आदेश SDO F दिनांक 26.06.23

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :अयोध्या,जनपद :बाराबंकी,तहसील :फतेहपुर
वाद संख्या :-4768/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202241248034768
माया आनन्द आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

वाद संख्या 153 (वर्ष 2023)

अन्तर्गत धारा 80(2) उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 नियमावली–2016
ग्राम– अमरसन्डा परगना कुर्सी
तहसील फतेहपुर जिला–बाराबंकी।

माया आनन्द आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत वाद धारा–80 उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 के अन्तर्गत अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट सोसाइटी द्वारा अध्यक्ष श्री राजकुमार गुप्ता पुत्र रामलखन निवासी 4/1066 बी विकासनगर लखनऊ व प्रबन्धक श्रीमती माया आनन्द उर्फ मायावती देवी पत्नी बी0एल0 गुप्ता निवासी 8/340 विकासनगर लखनऊ द्वारा संचालित ट्रस्ट अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट सोशल फाउन्डेशन संक्षिप्त में एम्स फाउन्डेशन पंजीकृत कार्यालय 8/340 विकासनगर जनपद लखनऊ द्वारा प्रस्तुत आनलाइन आवेदन पत्र पर तहसीलदार फतेहपुर द्वारा नियत प्रारूप पर प्रेषित आख्या दिनांक 26.06.2023 के आधार पर प्रारम्भ हुई। वाद नियमानुसार पंजीकृत किया गया।

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि खाता संख्या 00072 की गाटा संख्या 1123/0.759हे0 स्थित ग्राम अमरसन्डा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी वादी के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर, दर्ज सरकारी कागजात है। वादी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उपरोक्त भूमि कृषि कार्य प्रयोजन में न आने के कारण उक्त भूमि को गैर कृषिक घोषित किये जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार फतेहपुर द्वारा प्रेषित जॉच आख्या दिनांक 26–06–2023 एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर वादी के नाम खतौनी फ0 वर्ष 1429–1434 की खाता संख्या 00072 की गाटा संख्या 1123/0.759हे0 को धारा–80(2) राजस्व संहिता–2006 के अन्तर्गत गैरकृषिक प्रयोजन हेतु घोषित किए जाने की उदघोषणा निम्न प्रकार से उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन की जा रही है:–

1–धारा–80 (2)उ0प्र0रा0सं0 2006 के अन्तर्गत तहसीलदार फतेहपुर द्वारा प्रेषित आख्या निम्नवत् है:–

राजस्व ग्राम का नाम अमरसन्डा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर।

ग्राम का नाम	भूमिधर का नाम पिता का नाम व स्थान	खतौनी खाता संख्या	खाते का क्षेत्रफल हे0 में	मालगु जारी रू0 में	गाटा संख्या	क्षेत्रफल हे0 में	विनिर्दिष्ट गैर कृषि प्रयोजन के लिए खाता या उसका कोई भाग	विशिष्ट विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अमरसन्डा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर	अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट सोसाइटी द्वारा अध्यक्ष श्री राजकुमार गुप्ता पुत्र रामलखन निवासी 4/1066 बी विकासनगर लखनऊ व प्रबन्धक श्रीमती माया आनन्द उर्फ मायावती देवी पत्नी बी0एल0 गुप्ता निवासी 8/340 विकासनगर लखनऊ द्वारा संचालित ट्रस्ट अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट सोशल फाउन्डेशन संक्षिप्त में एम्स फाउन्डेशन पंजीकृत कार्यालय 8/340 विकासनगर जनपद लखनऊ	00072	0.759	18.75	1123	0.759	0.759	चालान संख्या FQ 14 दिनांक 26.06.2023 उदघोषणा शुल्क रू0 54700–00 व ई–स्टाम्प संख्या RD 0002013118 दिनांक 26.06. 2023 न्यायशुल्क रू0 54700.00

CANCELLED
CANCELLED

3=70
01-07-23
R-B' छायाप्रति
H.B.

Sachin

2—वादी द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र दिया गया है। ऐसी स्थिति मे नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है।
3—वादीजन द्वारा आवेदित रकबा 0.759हे0 अकृषिक प्रयोजन मे उपयोग किया जा रहा है, जिसका सम्बन्ध कृषि बागवानी, मत्स्य पालन व कुटकुट पालन से नहीं है।
4—उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली—2016 की धारा—85 (2) के अर्न्तगत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा प्रश्नगत रकबे का कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार उद्घोषणा शुल्क हेतु आगणित रकम का एक प्रतिशत रू0 54700—00 चालान संख्या FQ 14 दिनांक 26.06.2023 व न्याय शुल्क के रूप में रुपया 54700/— ई स्टाम्प संख्या RD 0002013118 दिनांक 26.06.2023 व विभाजन शुल्क के रुप में रुपया 1000/— चालान संख्या FQ 13 दिनांक 26.06.2023 को दाखिल किया गया है।
5— चूँकि वादी द्वारा अपनी जोत का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, इसलिए राजस्व नियमावली—2016 के नियम—88 के अर्न्तगत उल्लिखित राजस्व संहिता—2006 की धारा—22 (2) के अनुसार उद्घोषणा शुल्क व न्याय शुल्क जरिये चालान सम्बन्धित लेखा शीर्षक में जमा किया गया है।
6— इस उद्घोषणा में भूमि पर अकृषिक गतिविधियॉं विद्यमान होने के आधार पर भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन घोषित किया जा रहा है, परन्तु मात्र इस घोषणा के आधार पर कोई भू—स्वामी भू—अर्जन की स्थिति में व्यवसायिक दर से प्रतिकर की मॉंग नही करेगां इस सम्बन्ध मे वादी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7—यह उद्घोषणा मात्र भूमि के अकृषिक प्रयोजन के संदर्भ में है, इस उद्घोषणा को स्वत्व सम्बन्धी किसी विवाद में आधार नही माना जायेगा। इस सम्बन्ध मे वादी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8—इस उद्घोषणा का विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत बाराबंकी पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा। आवेदक को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना एवं मानचित्र स्वीकृत कराना होगा तथा विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत योजना का पालन करना होगा।
9—आवेदित गाटा संख्या में अन्य सहखातेदार हैं जिनका अनापत्ति विषयक शपथ पत्र संलग्न है।

अतएव प्रश्नगत भूमि गैरकृषिक प्रयोग में लाया जाना प्रस्तावित है। अतः ग्राम अमरसन्डा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी स्थित भूमि खाता संख्या 00072 की गाटा संख्या 1123 रकबा 0.759हे0 मू0रा0 18.75 रुपया को कृषि से अलग कार्यो में प्रयुक्त किये जाने के कारण धारा—80(2) उ0प्र0राजस्व संहिता—2006 के अर्न्तगत गैर कृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट तहसीलदार फतेहपुर द्वारा संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है। तहसीलदार फतेहपुर की जॉच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया गया जिससे विदित होता है कि आवेदक का रकबा 0.759हे0 गैरकृषिक घोषित किया जा सकता है। अतः उपरोक्त भूमि राजस्व संहिता—2006 की धारा—80(2) के अर्न्तगत गैरकृषिक भूमि प्रस्तावित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

आदेश

अतः ग्राम अमरसन्डा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी की खतौनी फ0 वर्ष 1429—1434 की खाता संख्या 00072 पर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट सोसाइटी द्वारा अध्यक्ष श्री राजकुमार गुप्ता पुत्र रामलखन निवासी 4/1066 बी विकासनगर लखनऊ व प्रबन्धक श्रीमती माया आनन्द उर्फ मायावती देवी पत्नी बी0एल0 गुप्ता निवासी 8/340 विकासनगर लखनऊ द्वारा संचालित ट्रस्ट अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट सोशल फाउन्डेशन संक्षिप्त में एम्स फाउन्डेशन पंजीकृत कार्यालय 8/340 विकासनगर जनपद लखनऊ के नाम संकमणीय भूमिधर अंकित भूमि गाटा संख्या 1123/0.759हे0 मू0रा0 18.75 रुपया को धारा—80(2) उ0प्र0रा0सं0— 2006 के अन्तर्गत गैर कृषिक भूमि घोषित किया जाता है। आवेदकगणों को धारा 80(2) उ0प्र0रा0सं0—2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश—2019 की शर्तो का अक्षरशः पालन करना होगा। यदि उल्लिखित गाटा संख्या के विरूद्ध ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उ0प्र0रा0सं0—2006 की धारा—82 के अर्न्तगत कार्यवाही की जायेगी। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक फतेहपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। वाद अमलदरामद पत्रावली सचित अभिलेखागार हो।

दिनांक— 26/6/23

(S.D.)

(डा0 सचिन कुमार वर्मा)
उपजिलाधिकारी
फतेहपुर—बाराबंकी

कार्यालय उप जिलाधिकारी
तारीख गुजरने दरख्वास्त नकल 30-6-23
तारीख नकल तैयारी 01-07-23
तादाद कोर्ट फीस 3-7-00
तादाद शब्द 460
दस्तखत नकल नवीस
तारीख देगे नकल 01-07-23

सत्य प्रतिलिपि
01/7/23
उपजिलाधिकारी
तह0 फतेहपुर, बाराबंकी

—नकल आदेश SDO F दि० 1/11/10—

न्यायालय उपजिलाधिकारी/असि०कले० तहसील- फतेहपुर, बाराबंकी।

वाद संख्या 2 /2010

ग्राम- अमरसंडा, परगना - कुर्सी, तहसील- फतेहपुर जिला - बाराबंकी।

राशिद खाँ बनाम उ0प्र0 सरकार

धारा 143 जमींदारी एवं भूमि व्य0अधि0

आदेश

प्रश्नगत वाद में वादी ने गाटा संख्या 1125/0.240हे0 व गाटा संख्या 1139/0.575हे0 कुल दो किता 0.815हे0 मा0गु0 38.50पैसा जो उसके नाम सन् 1417-1422 फ0 की खतौनी के खाता संख्या 397पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। पर कृषि कार्य से अन्य कार्य हेतु अर्थात औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का शपथपत्र के साथ अनुरोध किया गया है, वादी के अधिवक्ता द्वारा बहस में कहा गया कि विगत 10 वर्षों से उक्त भूमि पर कृषि कार्य नही हो रहा है। उक्त भूमि को औद्योगिक/वाणिज्यिक घोषित कर देना चाहता हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल खतौनी में वादी का नाम उक्त गाटा संख्या पर दर्ज है।

उक्त प्रार्थना-पत्र की जाँच तहसीलदार फतेहपुर से करायी गयी। तहसीलदार फतेहपुर द्वारा उक्त क्षेत्रफल/गाटे को औद्योगिक घोषित किये जाने की आख्या नियत प्रारूप पर, मय आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है। तहसीलदार फतेहपुर द्वारा अपनी आख्या में कोई प्रतिकूल आख्या प्रस्तुत नही की गयी है। इसलिए गैर कृषि, औद्योगिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नही है।

अतः मैं राम चन्द्र सरोज उपजिलाधिकारी /असि०कले० फतेहपुर, बाराबंकी ग्राम अमरसंडा की गाटा संख्या 1139 व 1125 को वादी के प्रार्थना-पत्र एवं शपथपत्र तथा खतौनी को संज्ञान में लेते हुए औद्योगिक क्षेत्र घोषित करता हूं। आदेश की प्रति उपनिबंधक फतेहपुर व तहसीलदार फतेहपुर को भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

दिनांक 01-11-2010

(signature) 01-11-10
(रामचन्द्र सरोज)
उपजिलाधिकारी/असि०कले० फतेहपुर
बाराबंकी।
01-11-10

RB धाराप्रति
2=7/00 Rs
03/11/10

उप कृषक दरख्वास्त नकल 2/11/10
तारीख तैयारी 3/11/10
तादाद स्टाम्प 2=7/00 Rs
नम्बर 176
(stamps, signatures)